[illegible], तोड़ो नाता शराब से।

हरियाणा सरकार

विषय:- अभिलेखागार विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हेतु।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार विभाग की स्थापना के समय से ही इस विभाग के निदेशक का चार्ज निदेशक, शिक्षा विभाग "अब निदेशक, उच्चतर शिक्षा," के पास रहा है तथा प्रशासनिक अधिकारी का चार्ज भी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी के पास रहा है। शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा) के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी श्री जय सिंह सांगवान, एच०सी०एस० के पोस्टिंग आर्डरस में इनको केवल उच्चतर शिक्षा विभाग का ही प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया था परंतु अभिलेखागार विभाग एवं पुरातत्व विभाग के लिए अलग से किसी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण वे ही अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभागों के प्रशासनिक अधिकारी का कार्य भी देख रहे थे परंतु हाल ही में अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभागों का निदेशक का चार्ज सरकार के आदेशों के अंतर्गत निदेशक, उच्चतर शिक्षा से निदेशक, पर्यटन विभाग के पास चले जाने पर अभिलेखागार विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्पष्ट आदेश किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

अभिलेखागार विभाग का बजट मुख्य शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति- के अंतर्गत आता है और पुरातत्व विभाग एवं शिक्षा विभाग की पब्लिक लायब्रेरीज़ का बजट भी इसी बजट शीर्ष के अंतर्गत आता है और कला एवं संस्कृति प्लान बजट का नियन्त्रण निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पास है। इस विभाग के लिए कोई ए. डी. ए. (लिगल) व लेखा अधिकारी के भी कोई पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए विभाग द्वारा लिगल (विधि) संबंधी तथा लेखा संबंधी मामलों में शिक्षा विभाग के ही ए. डी. ए. तथा लेखा अधिकारी से मंत्रणा लेने की सुविधा उपलब्ध थी जो कि वर्तमान उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को ही इस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाने पर ही उपलब्ध रह सकती है।

.....निरन्तर.....

GOVERNMENT OF HARYANA

2

शपथ लो खा लो आज से, तोड़ो नाता शराब से।

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः पूर्व पृष्ठ पर उक्त स्थिति के मद्देनजर यदि अधिकारीगण सहमत हों तो <u>उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को अभिलेखागार विभाग के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (सेवाएं शाखा-III) से अनुरोध कर लिया जाए तथा जब तक उपरोक्त व्यवस्था न हो जाए तब तक उच्चतर शिक्षा विभाग के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी को अभिलेखागार विभाग के प्रशासनिक अधिकारी का कार्य देखते रहने के लिए अधिकृत कर दिया जाए।</u>

कृपया एफ.सी.ई.एल./एवं एफ.सी.ए.ए. महोदय के अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

3-11-2K

3-11-2000

6-11-2000

(VIJAI VARDHAN) IAS

F.C. EL (A+A)

Pl. process.

15-11-2K

JS

16/11/2K

GOVERNMENT OF HARYANA

133

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से —

[illegible] हैं।
[illegible]

[illegible]
17.11.2000

[illegible]

[illegible]
17-11-2000

पत्र क्रमांक 2017 दि 17-11-2000

[illegible] JSPS [illegible] TSPS महो० को [illegible] ब०व्रा० [illegible] निदेशक महो० के अनुमोदनार्थ [illegible]

[illegible]
17-11-2000

[illegible]
17.11.2000

यह केस A.D. के स्तर पर process किया जाना है अतः USA आगामी कार्यवाही करने की कृपा करें।

[illegible]
17.11.2000

USAA [illegible]

SAA [illegible]

GOVERNMENT OF HARYANA

शराब मुक्त हरियाणा, अब दूध दही का खाना!

विषय: अभिलेखागार विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हेतु।

गत पृष्ठ 1-4 विभाग का प्रस्ताव देख लिया और जिसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हेतु मामला मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (सेवाएं शाखा-II) मे प्रेषित किया जाना है।

इस केस के तथ्य इस प्रकार है कि अभिलेखागार विभाग की स्थापना के समय से ही इस विभाग के निदेशक का चार्ज निदेशक, शिक्षा विभाग "अब निदेशक उच्चतर शिक्षा" के पास रहा है तथा प्रशासनिक अधिकारी का चार्ज भी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी के पास रहा है! शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा) के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी श्री जय सिंह सांगवान, एच.सी.एस. के पोस्टिंग आर्डरस में इन्हें केवल उच्चतर शिक्षा विभाग का ही प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया था। अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण वे ही अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभागों के प्रशासनिक अधिकारी का कार्य भी देख रहे थे। परन्तु हाल ही में अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभागों का निदेशक का चार्ज सरकार के आदेशों के अनुसार निदेशक उच्चतर शिक्षा से निदेशक, पर्यटन विभाग के पास चले जाने पर अभिलेखागार विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्पष्ट आदेश किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

अभिलेखागार विभाग का बजट मुख्य शीर्ष 2205 - कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है और पुरातत्व विभाग एवं शिक्षा विभाग की पब्लिक लायब्रेरी शाखा का बजट भी इसी बजट शीर्ष के अंतर्गत आता है और - कला एवं संस्कृति प्लान बजट का संचालन निदेशक

गत पृष्ठ से आगे।

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा के पास है। इस विभाग के लिए कोई ए.डी.ए. (लिगल) व लेखा अधिकारी के भी कोई पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए विभाग द्वारा लिगल (विधि) संबंधी तथा लेखा संबंधी मामलों में शिक्षा विभाग के ही ए.डी.ए. तथा लेखा अधिकारी से मंत्रणा लेने की सुविधा उपलब्ध थी जोकि वर्तमान उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को ही इस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाने पर ही उपलब्ध हो सकती है।

यदि अधिकारीगण सहमत हों तो उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार पुरातत्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (सेवायें शाखा II) से अनुरोध कर लिया जाये। आदेशार्थ प्रस्तुत है।

18/1

अधीक्षक

18-1-2001 उपरोक्त के अनुमोदनार्थ।

U.S.A.M.

18/1 USAA

JSAA

19/1

USAA

24/1

SAA

24/1

JSAM

(सेवायें शाखा II)

Level

CAA

18/1/2001

-6-

पाप तुम मत पिया शराब, मुझ को से को मत [illegible]

हरियाणा सरकार

F.10

Orders, in respect of Sh. Jai Singh Sangwan, HCS, have been issued vide Govt. orders dated 9-3-2001. Two copies are placed below. If agreed this file may be sent to USAA.

[illegible] 12/3/01

SS II (OL)

~~USA~~

[signature] 13/3/2001

USAA

सरकार ने DHE के Administrative Officer Sh. Jai Singh Sangwan को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] A-D [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] 10-4-2001

[illegible]

[signature] 16-4-2001

GOVERNMENT OF HARYANA

[signature] 10/4

[illegible]

शपथ हम खा लो आज से, तोड़ो नाता शराब से।

हरियाणा सरकार

ह० पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया जैसे कि प्रशासकीय अधिकारी महोदय से विमर्श हुआ है पूर्व पृष्ठ-6 पर एस०ओ०पी०एल० ए.ए.1 से पूर्व पृष्ठ 1-2 पर लिए गए अनुमोदन के अनुसार अभिलेखागार विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने हेतु मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा भेजा जाता है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु यह मूल केस अवर सचिव, शिक्षा एवं अभिलेखागार विभाग को भेज दिया जाए।

[illegible]
20-11-2K
अधीक्षक

कंवर सिंह [illegible]
20-11-2000

उ.स. (अ)

यह मूल केस प्रशासकीय विभाग को भेजा जा चुका है यह दोहरी प्रति है। [illegible]

कंवर सिंह
27-2-2001

उ.स. (अ)

प्राप्त हुई यह [illegible]

कंवर सिंह
2/3/2001

[illegible] 27/2

[illegible]

1. मैंने यह Para में की 1. उनके Service, [illegible] के अध्यक्ष [illegible] दिनांक 27-2-2001 को उनके [illegible] दी की।

[illegible] के नोट कर दिया जाए [illegible] हैं तो इसकी [illegible] वही [illegible] कर लिया जाए [illegible] अनुमोदनार्थ [illegible] आदेशार्थ।

अधीक्षक
5-3-2001

अधीक्षक [illegible]

कंवर सिंह
5/3/2001

GOVERNMENT OF HARYANA

[illegible]

उ.स. (अ)

5/3/2001

[illegible]
5/3

[illegible] अधीक्षक 7-3-2001

[illegible] 7/3/2001

[illegible]

सं-1

९।५। तुम मत पियो शराब, मुझ को न दो ... ।

हरियाणा सरकार

विषय:- अभिलेखागार विभाग के लिए डिस्ट्रिक्ट अटारनी/ए. डी. ए. (लीगल) तथा लेखा अधिकारी नियुक्त करने बारे ।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार विभाग की स्थापना के समय से ही इस विभाग के निदेशक ... का चार्ज निदेशक, शिक्षा विभाग" अब निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पास रहा है तथा प्रशासनिक अधिकारी का चार्ज भी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी के पास रहा है । शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा) के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी भी श्री जय सिंह सांगवान, एच0सी0एस0 के पोस्टिंग आर्डरस में ... इनको केवल उच्चतर शिक्षा विभाग का ही प्रशासन अधिकारी नियुक्त किया गया था परन्तु अभिलेखागार विभाग एवं पुरातत्व विभाग के लिए अलग से ... प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण वे ही अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभागों के प्रशासनिक अधिकारी का कार्य भी देख रहें हैं परंतु अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभागों के निदेशक का चार्ज सरकार के आदेशों के अंतर्गत दि030.10.2000 से उच्चतर शिक्षा के निदेशक से ... विभाग के पास चला गया था और इस कारण से अभिलेखागार विभाग के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्पष्ट आदेश किए जाने आवश्यक हो गये थे ।

क्योंकि अभिलेखागार विभाग का बजट मुख्य शीर्ष 2205 कला एवं संस्कृति-के अंतर्गत आता है और पुरातत्व विभाग एवं शिक्षा विभाग की पब्लिक लायब्रेरी शाखा का बजट भी इसी बजट शीर्ष के अंतर्गत आता है और कला एवं संस्कृति प्लान बजट का नियन्त्रण निदेशक, उच्चतर शिक्षा के पास है । इस विभाग के लिए कोई ए0डी0ए0 (लीगल) लेखा अधिकारी के भी कोई पद स्वीकृत नहीं है । इसलिए विभाग द्वारा लीगल विधि संबंधी तथा लेखा संबंधी मामलों में शिक्षा विभाग के डी. ए. ओ. ए. तथा लेखा अधिकारी से मंत्रणा लेने की सुविधा उपलब्ध थी जोकि वर्तमान उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को ही इस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाने पर ही उपलब्ध रह सकती है ।

....निरंतर.....

हरियाणा सरकार

कृपया पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया मुख्य सचिव की जी. एस. शाखा-II से पता किया गया कि उन्होंने बताया है कि जिला न्यायवादी/सहायक जिला न्यायवादी की नियुक्ति के लिए जेल एवं न्यायवादी/शाखा को तथा मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सीधा वित्त विभाग को भेजा जावे । इन प्रस्तावों से मुख्य सचिव जी. एस-II शाखा का कोई संबंध नहीं है ।

जिला न्यायवादी/सहायक जिला न्यायवादी की नियुक्ति के लिए जेल एवं न्यायवादी शाखा को प्रस्ताव अलग से भेजा जा रहा है ।

मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी की नियुक्ति के लिए यह प्रस्ताव वित्त विभाग में एफ.जी. शाखा में अवर सचिव को भेज दिया जाए ।

कंवर सिंह [signature]
अधीक्षक
14.6.2002

उ0नि0अ0

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

प्रशासकीय विभाग को मन्त्रणा दी जाती है कि निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग में नियुक्त वरिष्ठ सहायक जिला न्यायवादी अपने कार्य के अतिरिक्त अभिलेखागार विभाग के कोर्ट केसिज का निपटान भी करेगा । लेखा अधिकारी वित्त विभाग द्वारा नियुक्त किया जाना है । कृपया इस बारे अपने स्तर पर वित्त विभाग से मामला टेकअप करें ।

अधीक्षक जेल एवं न्यायिक-I
कृतेः वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग

सेवा में

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
~~शिक्षा~~ विभाग । अभिलेखागार विभाग

अशाः क्रमांक 7/2/2002-1जे0जे0(I) दिनांक 19-7-2002

SSAA

24/7/02

Pl. keep a copy of above direction

GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

31-7-2002

है - 215 हेतु।

Item 8

5/8/02

प्रारूप को ... प्रति की संशोधन प्रस्तुत है

... जारी करें।

5-8-2002

5-8-02

6/8/02

जारी क्रमांक 1465

दिनांक 6/8/02

GOVERNMENT OF HARYANA

हरियाणा सरकार

विषय- अभिलेखागार विभाग के लिए लेखा अधिकारी नियुक्त करने बारे।

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार विभाग की स्थापना के समय से वर्ष 2002 तक इस विभाग के निदेशक का चार्ज निदेशक उच्चतर शिक्षा के पास रहा है। इस विभाग के लिए लेखा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है। इस लिए विभाग द्वारा लेखा सम्बन्धी मामलों में शिक्षा विभाग के ही लेखा अधिकारी की [illegible] एवं मार्गदर्शन लेने की सुविधा उपलब्ध थी। निदेशक का 2002 के बाद इस विभाग के निदेशक के पास अन्य चार्ज के चार्ज भिन्न अधिकारियों के पास रहे हैं, जो निम्नानुसार रहे हैं।

Sr. No.	Period	Designation of officer
1.	3-4-2002 to 12-7-04	MD, Tourism Corp. & Director Tourism
2.	13-7-04 to 31-3-05	Director, Archives Haryana and Joint Secy. to Govt. Haryana, Archives Deptt. & Deputy Commissioner, Mahendergarh at Narnaul in addition
3.	1-4-2005 to 7-6-05	No officer posted as Director, Archives.
4.	8-6-05 to 11-11-07	Director, Archives Haryana
5.	12-11-07 to 29-1-08	Commissioner Rohtak Division Rohtak and Director Archives
6.	30-1-08 to till date	Commissioner, Gurgaon Division Gurgaon and Director, Archives.

हरियाणा सरकार

विभाग में लेखा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः विभाग को लेखा सम्बन्धी मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः यदि अनुमोदन हो तो वित्त विभाग (टी० एस० स्थापना(लेखा)) से अनुरोध कर लिया जाए कि उच्चतर शिक्षा विभाग में नियुक्त मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी को उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ-साथ अभिलेखागार विभाग के लेखा मामलों में मार्गदर्शन आदि प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

कुमार
18/7/08

~~उ.नि.अ.~~

Rajwanti
18/7

Dir Arch / LSA

[illegible]
18/7/08

[illegible]
21.7.08

SA

-17-

हरियाणा सरकार

मुख्य प्रधान से -

कृपया प्रारूप अनुमोदनार्थ।

कुमार
30/7/08

उ/नि

Rajwanti
31.7.08

कृपया टाईप हेतु।

कुमार
31/7/08

Steno / Asstt-1
6/8/08

कृपया स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

सतीश
7/8/08
अधी

कुमार
7/8/08

उ/नि

Rajwanti
7.8.08

कृपया जारी करें।

कुमार
7/8/08

जारी No 3083 Desp / Asstt-1
8/8/08

GOVERNMENT OF HARYANA
"KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE"

हरियाणा सरकार 18

पूर्व पृष्ठ से

Date of Increment	Pay in the Pay Band/ scale	Grade Pay	Total Basic Pay	Remarks.
1-7-2010	7270 +	1650 =	8920	
1-1-2011	7540 +	1800 =	9340	IInd ACP Rule 2008, Rule-7(2)
1-7-2011	7820 +	1800 =	9620	

श्री सुभाषचन्द्र, DRA की IInd ACP Pay Fix कर दी गई है।

Pay fixation के लिए वित्त विभाग की Notification No, 1/83/2008/1PR(FD) dated 7-12-2009 के पैरा-4 अनुसार Heads of office अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन नियतन के लिए सक्षम है। Accounts officers से verification केवल आरम्भिक अवस्था में revised Pay fixation के लिए आवश्यकता थी फिर भी यदि अधिकारीगण किसी Accounts officer से Pay fixation verify करवाना चाहते हैं तो उक्त Notification के Para-4 अनुसार Director, Treasury & Account department से इस संबंध में प्रबन्ध करवाने का कष्ट करें। हेतु अनुमोदनार्थ आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प/क

प/क पर प्रस्ताव दिया गया है। 8/8/11 SA

9/8/11

यदि अनुमोदित हो तो कं अनुसार कर्मचारी की Pay fixation सदैव विभाग के किसी Account officer नियुक्त करने हेतु T & A department से अनुरोध कर लिया जाए।

हेतु अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

9/8/11

Rajiv ... 17.8.11

हरियाणा सरकार

—19

पूर्व पृष्ठ से

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

19/8/11

अधी०

कृपया प्रारूप Retype कर दें।

23/8/11

Steno

24/8 ASSH-II

कृ० प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ अनुमोदनार्थ/ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

26/8/11

~~अधी०~~

~~उ०मु०~~

26/8/XI

Rajwant 29/8

~~LA~~ जारी करें।

मल.नी.

Desp

ASSH-II

29/8/XI

जारी क्रमांक 1276-79

दिनांक 1-9-2011

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER – SAVE LIFE

-20-

(64)

पूर्व पृष्ठ से

कृ० निदेशक खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा को विभाग के लिए एक लेखा अधिकारी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में पत्र भेजने बाबत प्रारूप अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
7/9/11

अधी०

कृपया अधी० महोदय के निर्देशानुसार case संबंधित File पर Put up कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)
15/9/11

अधी०

अतः अनुमोदित हों तो विभाग के लेखा सम्बन्धी मामलों में मंत्रणा/जाँच आदि प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग को एक मुख्य लेखा अधिकारी को निर्देश जारी करने हेतु, निदेशक, खजाना एवं लेखा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ से अनुरोध कर लिया जाए।

कृपया अनुमोदनार्थ/प्रारूप भी अनुमोदनार्थ।

(हस्ताक्षर)
16/9/11

उ०नि०

Rajkant
16/9

डी०ए०. कृ० टाईप हेतु।

(हस्ताक्षर)
ASO 20/9/11

(हस्ताक्षर)
19/9/11

— निरन्तर — —

हरियाणा सरकार

जय हिन्द पूर्व पृष्ठ से

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

20/9/11

अ०ली०

उ०स०

21/9/11

Rajkant 21/9

SA जारी करें

DCSP Asstt-II

21/9/11

पायेगी।
जारी क्रमांक 1502
दिनांक 22/9/2011

-232-

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

कृपया पूर्व ब्लॉक उपर के अनुसार विभिन्न प्रकार के मामलों में वेतन निर्धारण को verify करवाने के लिए एक लेखा अधिकारी विभाग के लिए उपलब्ध / नियुक्त करवाने के संबंध में Director, TDA Deptt. से अनुरोध कर लिया जाए।

कृ० प्रारूप अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत है।

28/12/11 अधी० - कृ० संबंधित फाईल पर Put up करें

28/12/11

Asstt.

कृ० अधी० महो० के आदेशानुसार case संबंधित File पर put कर दिया गया है। विभाग के लिए लेखा अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निदेशक खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ को विभाग के पत्र क्रं० 2/26-2002 अंके०/1502 दिनांक 22-9-2011 को भेजा गया था परन्तु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः यदि अनुमोदन हो तो उन्हें Reminder भेज दिया जाए।

कृ० अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ / प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5/1/12 अधी०

उ०नि०

4/1/2012

Rajwanti 6/1

9/1/12

SA. कृ० जारी हेतु।

Asstt.

9/1/12

निरन्तर -

(23)

हरियाणा सरकार

पूर्व पृष्ठ से:-

कृ० प्रारूप को स्वच्छ रूप में Retype कर दें।

9/1/12 Steno

ASSTT-II

11/1/12

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

11/1/12 अधी०

अ० वि०

11/1/12

12/1

SA कृ जारी करें

Desp

ASSTT-II

12/1/11

जारी क्रमांक 124

दिनांक 13-1-2012

कृ० अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग के लिए लेखा अधिकारी नियुक्त करने के लिए निदेशक, खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ को विभाग के पत्र क्र० 2/26-2002 अभि/1502 दि० 22-9-2011 व क्र० सम/124 दिनांक 13-1-2012 के संबंध में पत्र भेजे गए थे परन्तु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। यदि अनुमोदन हो तो फिर से Reminder भेज दिया जाए।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ/प्रारूप भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

21/2/12 अधी०

अ० वि०

22/2/12

22/2

SA कृ टाईप हेतु

Steno

ASSTT-II

22/2/12

25

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

पूर्व पृष्ठ से:

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

23/2/12

24/2/12

Rajwanti 27/2

जारी करें

DESP

Asstt II

27/2/12

जारी क्रमांक 74 दिनांक 27/2/2012

25

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1068

Dated 30-7-12.

From

Principal Secretary to Govt. Haryana Finance Department.

Endst No. 16/5/2011-4F.A.

Dated 26-7-2012.

Sub:- order लेखा अधिकारी के पद बारे

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

Principal Secy. to Govt. Haryana Finance Deptt- के पत्र दि० 26-7-2012 के अन्तर्गत विभाग के लिए बिन्दु नं. 13 पर श्री हरि ओम सिंह, को Account officer के पद के लिए नियुक्ति आदेश भेजे है परन्तु अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग में Account officer से संबंधित पद सृजित नहीं है इसलिए इस सबंध में सूचना वित्त विभाग को भेज दी जाए।

कृ० अनुमोदनार्थ/ आदेशार्थ/ प्रतिलिपि भी अनुमोदनार्थ/ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

स्वामी 30/7/12

अधीक्षक

उ०स०

(signature) 30/7/12

कृ जारी करें। Rajwanti 30/7

Desp

ASO 30/7/12

जारी क्रमांक 1082 दिनांक 30/7/2012

Anil Kumar

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER - SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

जय हिन्द

इस केस का सम्बन्ध अभिलेखागार विभाग के लिए एक लेखा अधिकारी का पद सृजित करने से है 1

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार विभाग की स्थापना के समय से ही इस विभाग के निदेशक का चार्ज निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग के पास रहा था 1 अतः शिक्षा विभाग के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ही अभिलेखागार व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लेखा सम्बन्धी कार्यो में मंत्रणा देने व निपटान करने का कार्य करते थे 1 अब अभिलेखागार व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक का चार्ज सरकार ने स्वतंत्र रूप से एक अधिकारी को दे दिया है और दोनो विभागों में से किसी भी विभाग में कोई एस.ए.एस. अधिकारी/लेखा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है 1 अतः विभाग के लेखा सम्बन्धी मामलों में मंत्रणा प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जब भी किसी अन्य विभाग के लेखा अधिकारी के पास लेखा सम्बन्धी मामलों में मंत्रणा लेने हेतू जाते है तो वह यह कहकर मंत्रणा देने से मना कर देते है कि पहले सक्षम विभाग से इस कार्य के लिए उनके आदेश करवाए 1 इस सम्बन्ध में अभिलेखागार विभाग ने निदेशक खजाना एवं लेखा विभाग को किसी लेखा अधिकारी को इस विभाग के लेखा सम्बन्धी मामलों में मंत्रणा देने के निर्देश जारी करने हेतू पत्र भेजा गया था 1

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग ने अपने आदेश दिनांक 26.7.2012 के अंतर्गत इस विभाग में एक लेखा अधिकारी नियुक्त कर दिया है 1 परन्तु इस विभाग में लेखा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है 1 अतः लेखा अधिकारी का पद सृजित करवाना आवश्यक है 1 दोनों विभागों के लिए एक लेखा अधिकारी का पद सृजित करवा लिया जाए 1

हरियाणा सरकार

71

जय हिन्द

अत: अनुमोदित हो तो अभिलेखागार और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए एक लेखा अधिकारी का पद वेतनमान रू0 9300-34800+5400 ग्रेड पे में अभिलेखागार विभाग में सृजित करने हेतू प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय/वित्त विभाग को भेज दिया जाए 1

कृप्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है 1

23/8/12

23/8/12

Rajwanti 27/8/12

Level CM

DGA (A)

PSA

For approval of C.M.

13/9/12

13/9/2012

Vijai Vardhan, IAS
Principal Secretary Archives

6&0 PSA
13.9.12

CoM

Hon'ble CM has approved.

(M.S.Chopra)
Principal OSD/CM

PS Archives

Office of Principal OSD/CM
Dy. No. 1443
Date 21/9/12

Vijai Vardhan, IAS
Principal Secretary Archives

FD (A)

27/9

वित विकास शाखा
डायरी न0 42
दिनांक 28-9-12

GOVERNMENT OF HARYANA
CONSERVE WATER – SAVE LIFE

Government of Haryana
Finance Department

-28-

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

जय हिन्द

Subject:- Creation of one post of Account Officer in Archives Department.

****

Finance Department agrees to the proposal of Administrative Department for creation one post of Account Officer in the pay band of Rs. 9300-34800 + 5400 Grade Pay with the condition that AO posted to Archives Department will also do the work of accounts nature of Archaeology department being under the control of one Administrative Secretary.

Superintendent FD-II
for Principal Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

To

The Principal Secretary to Govt. Haryana.
Archives Department

U.O. No.20/2/2FDII/12/42 Dated 8 November, 2012.

DGA(V)
DD(Archives)

Letter has been despatched. 15/11/12
WA PSA may kindly see for information and approval pl.

"CONSERVE WATER—SAVE LIFE"

जय हिन्द

हरियाणा सरकार

कृपया गत पृष्ठ पर वित्त विभाग द्वारा
इस विभाग के लिए एक लेखा अधिकारी
का पद स्वीकृत किया गया है और
लेखा अधिकारी की नियुक्ति हेतु
विभाग ने अपने पत्र दिनांक 15-11-2012
के अन्तर्गत प्रधान सचिव हरियाणा
सरकार वित्त विभाग से अनुरोध किया
था परन्तु अभी तक उक्त अधिकारी
की नियुक्ति नहीं हुई है।

अतः अनुमोदित हो तो विभाग
में एक लेखा अधिकारी नियुक्त
करने हेतु निदेशक, खजाना एवं
लेखा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ से भी
अनुरोध कर लिया जाए।

कृपया अनुमोदनार्थ/प्रारूप भी
अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ।

[signature] 17/12/12

अ.स.

उ.स.

[signature] 17/12/12

Rajkanti 17/12

डी. जारी करें [signature] 17/12/12

जारी क्र. 1778 Desp
date 17/12/2012
[signature]

-30-

हरियाणा सरकार

Dy. No. 21

Dated 4-1-2013

जय हिन्द

From : principal secretary to Govt. of Haryana, Finance Department,

Endst. No. 15/10/2012-4 F.A.

Dated 02-1-2013

Sub. :- ORDER

वि० प०

अधिकारीगण कृपया वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

principal secy. to Govt. of Haryana Finance Deptt. के पत्र दि० 1-1-2013 के अन्तर्गत सूचित किया है कि Sh. Rajender Singh, Accounts officer in the office of Director General, Archives Dept. Haryana, panchkula in addition to their present duties with immediate effect. इन order के तहत यह भी सूचित किया है कि No extra remuneration will be paid for this additional works.

विभाग को सिर्फ केवल सूचनार्थ/ file हेतु।

04/2/13

4/2/13

11/2

11/2/13

GOVERNMENT OF HARYANA

CONSERVE WATER - SAVE LIFE

हरियाणा सरकार

Dy No - 252

Dated: 11/2/2013

From:-

Satish Kumar Kaushik
Accounts Officer
Endst. No. 15/5/2013-4FA
Dated:- 05.02.2013

Subject:- Joining Report

नि.प.

अधिकारीगण कृ.प. नि. प. का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री सतीश कुमार कौशिक, Account Officer ने Principal Secy, to Govt. Hr, Finance Deptt, Chd, issued vide endst No, 15/5/2013-4FA dated 05-2-2013 के तहत में दिनांक 6-2-2013 F.N में अपने पद पर विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। केवल सूचना व File हेतु।

13/2/13

अधीक्षक

कृपया श्री सतीश कुमार, कौशिक, AO ने दिनांक 6-2-2013 से विभाग में लेखा अधिकारी के पद कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतः अनुमोदित हो तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति महानिदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को भी भेज दी जाए।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

13/2/13

As per order there is no mention of Archaeology & museum. Pl put up in F D

Rajpal 18/2/13

8/2

-32-

हरियाणा सरकार

कृपया प्रारूप अनुमोदनार्थ आदेशार्थ प्रस्तुत है।

20/2/13

अधी०

अ०मि०

26/2/13

SA कृ टाईप हेतु

Rajwanti 28/2

Steno A88H-II

28/2/13

5/2/13

कृपया प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

5/3/13

अधी० उप अधिकारीगण से बात हुई अधिकारी की Joining Report व F.D द्वारा किए गए orders की प्रति स्वच्छ प्रारूप के साथ संलग्न कर दी गई है। स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

12/3/13

अधी०

अ०मि०

12/3/13

Rajwanti 14/3

SA कृ जारी करें

Desp A88H-II

14/3/13

जारी क्र० 407
Date 14/03/2013

—33

हरियाणा सरकार

DY No – 1063

Dated :- 28/05/2013

RIGHT TO INFORMATION

प्रेषक :-

निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ़।
आदि क्रमांक 3353 टी ए-ख2(1टी)-13/4064
दिनांक - 9/5/13

विषय :- Regarding regularization of Compulsory waiting Period from 29.01.2013 to 05.02.2013 - Sh. Satish Kumar Kaushik, A.O.

वि०प० अधिकारीगण कृप वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ के पत्र दिनांक 9-5-13 के संदर्भ में सरकार के आदेश सं० 28/29/2012-5वि०लो० दिनांक 10-4-2013 के सम्बन्ध में श्री सतीश कुमार कौशिक लेखाधिकारी का दिनांक 29-1-2013 से 5-2-2013 तक के समय को वेटिंग पिरियड ट्रीट कर दिया है। जोकि साथ में संलग्न है। उक्त दिनों का वेतन देने बारे स्पष्टीकरण किया है, अधिकारी का कृपया अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि Principal Secy. to Govt. Haryana, Finance Deptt. से उक्त पत्र प्राप्त हो गया था वह 29-1-2013 से 5-2-13 तक को अधिकारी को वेतन मिल चुका है, वि०प० के अनुसार कोई कार्यवाही वांछित नहीं बनती है, यदि अनुमोदन हो तो वि०प० को File कर दिया जाए।

कृपा अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ/File हेतु।

29/5/13

29/5/13

30/5

30/5/13

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

Dy. No. 1530
~~05~~ 8 — 13

प्रेषक

श्री सतीश कुमार कौशिक
लेखाधिकारी
दिनांक 6-8-13

विषय :— मैडिकल अवकाश बारे।

वि० प०

अधिकारीगण कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री सतीश कुमार कौशिक, लेखाधिकारी ने अपने पत्र दि० 6-8-13 के अन्तर्गत सूचित किया है कि उनके पेट में अचानक दर्द होने के कारण दि० 23-7-13 से 25-7-13 तक Alchemist Hospital, Sec.-21, पंचकूला में Admit रहे तथा फिर डाक्टर ने उन्हें दि० 26-7-13 से 28-7-13 तक का Rest दे दिया लेकिन उन्हें अचानक दोबारा से दर्द होने के कारण दि० 31-7-2013 को Alchemist Hospital में दाखिल होना पड़ा और उनका आप्रेशन हुआ है। इसलिए अधिकारी ने अनुरोध किया है कि उनकी यह सूचना स्वीकार कर ली जाए तथा ठीक होने के बाद मैडिकल Submit कर देंगे।

इस प्रकार अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री सतीश कुमार कौशिक, लेखाधिकारी के ठीक होने उपरान्त उनसे

हरियाणा सरकार

RIGHT TO INFORMATION

पूर्व पृ० से।

Medical Leave मंजूर की जायेगी। अधिकारी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने के लिए उप निदेशक मौलिक महोदया से अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

19/8/13
अ०लि०

उक्त आवेदन[illegible] HL पुट अपलोड [illegible]
19/8/13

F-II
Original मिसल No. 2/20-2013AL पर Put up कर दिया गया है।

2/26-2002 A

हरियाणा सरकार

DY. No. 1828
Dated 12/09/13

RIGHT TO INFORMATION

From.

Principal Secretary
to Government Haryana
Finance Department
No. 15/10/2012-4FA
Dated 4/09/2012

Sub:- Order

वि०प०

अधिकारीगण कृ० वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग Endst No. 15/10/2012-4FA dated 4-9-2012 के अन्तर्गत the Post of Account officer was created vide U.O. No. 20/2/FD II/1242 दिनांक 8-11-12 को साथ Condition लगाई है कि Account officer अभिलेखागार विभाग हरियाणा के साथ-2 पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग का Account से संबंधित कार्य देखेगें।

विभाग के लिए केवल सूचनार्थ File हेतु।

20/9/13

अ०अ०

A/O

20/9/13

24/9.

D.D Arch.

25/9

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

S.A.

Acctt

24/9
20/9/13

हरियाणा सरकार

Dy. No. 1430

Dated 21-8-15

RIGHT TO INFORMATION

From

The Principal Secy. to Govt. Haryana, Finance Department,

Memo No. 14/38/2015-5FA
Dated Chandigarh, the 12-8-15.

Subj— Matter reg. State Accounts Subordinate (SAS) officers of the Finance Department.

वि०प०

अधिकारीगण कृपया वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 12-8-15 के अन्तर्गत सूचित किया है कि The State Accounts Subordinate (SAS) cadre officers are posted in the Govt. Departments/Public enterprises/autonomous institutions by Finance Department to facilitate the Departments to enforce financial discipline. In the past, it has been observed that a number of departments/Institutions have repatriated SAS cadre officers unilaterally. This has created adverse impact on moral of the officers as well as unnecessary problem for Finance Department in accommodating them in new posts or to keep them on compulsory waiting.

In view of this, it has been decided that in future no department/institution will repatriate or surrender SAS officers unilaterally. In case the work or behaviour of these officers are not up to mark the same may be brought to the notice of Finance Deptt.

RIGHT TO INFORMATION

to take appropriate action in the matter. Decision of the Finance Department regarding transfer/posting of SAS cadre officers is final, which is to be followed scrupulously by the Departments/Public enterprises/autonomous institutions.

It has been further decided that Since SAS cadre officers are qualified and trained in accounts, their services should to be utilised invariably for preparation of Plan proposals and Budgetary exercise of the Departments/Public enterprises/autonomous institutions.

यदि अनुमोदन हो तो इस संबंध में Account officer को भी नोट करवा दिया जाए। 'क'
भविष्य में उक्त सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

वि० प० विभाग के लिए सूचनार्थ/File हेतु व 'क' अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

14/9/15

14/9/15

Asstt

FD 'क' के संबंध में F.D. पत्र दि० 12-8-15 को लेखाधिकारी को नोट करने हेतु File प्रस्तुत है।

A/O

[illegible]/9/15

मेरे स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

Asstt

—37—

हरियाणा सरकार

Dy-No,1565

Dated 04-11-16

RIGHT TO INFORMATION

From

Haryana Institute of Public Administration Divisional Training centre Department, Sector 16, 2011 Panchkula.

No.-PDTC/PK/2016: 834-934

Dated 03-11-2016.

Subject: Two one day workshop on Pay fixation under Haryana civil services (Revised pay Rules) and Haryana civil services (Assured career Progressive Rule-2016 on 18th and 22nd Nov 2016

वि० प० अधिकारीगण कृ० वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

Principal Divisional Training centre Panchkula के पत्र दिनांक 03-11-2016 के अन्तर्गत सूचित किया है कि Two one day workshop on pay fixation under Haryana civil services Revised Pay Rules) and Haryana civil services (Assured career Progression) Rules 2016 के लिए दो दिन दिनांक 18-11-16 and 22-11-16 की Pay fixation की workshop का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें एक दिन की workshop के लिए nominate करना Accountants/SOs/AOs का नाम भेजने बारे कहा गया है।

विभाग और उक्त workshop में दिनांक 22-11-2016 को एक दिन की Attend करने के संबंध में Account officer का नाम nominate करके भेज दिया जाए। उक्त workshop में भाग लेने के संबंध में लिखा है कि Executive council of HIPA under the chairmanship of Chief secretary to Govt. Haryana a course fee @ Rs1000/- per participant per day charged by HIPA from Govt. Department.

— नि० स०(२)

हरियाणा सरकार

(84)

RIGHT TO INFORMATION

मुख्य प्रशासक

In case Department who do not have budget Provision for training course fees, they should give a certificate to this effect so that the condition of fee may be waived by the Director General HIPA.

इस संबंध में अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि 1000/रु० की फीस जमा करवाने के संबंध Budget Provision की स्थिति स्पष्ट करवा ली जाए कि Training (workshop) में भाग लेने हेतु 1000/रु० का Provision है या नहीं। आदेशार्थ अधिकारीगण को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

18/11/16

अ०नि०

18/11/16

Assistant II

Training (workshop) में भाग लेने हेतु 1000/रु० का बजट में प्रावधान नहीं है।

Anil Kr. AHH.
18/11/16

AHH Smt. Gupta कृपया स्पष्ट करवाएं।

9/12/16

अ०नि०

प्र०नि०

9/12/16

Supdt.

9.12.16

Assistt

9/12/16

हरियाणा सरकार
Dy. No. 1251

Dated 14-6-2018

RIGHT TO INFORMATION

From

Principal Secretary to Govt. of Haryana, Finance & Planning Department,

Endst No. 15/13/2018-2FA
Dated: 01-6-2018

Sub:— ORDER.

वि० प०

अधिकारीगण कृप्या वि० प० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 01-6-2018 के अन्तर्गत सूचित किया है कि श्री सतीश कुमार, कौशिक, लेखा अधिकारी को अभिलेखागार विभाग के साथ-2 अतिरिक्त चार्ज o/o Director, Sports & Youth Affairs Deptt. Haryana, Panchkula का दिया गया है। No extra remuneration will be paid for this additional work उक्त बारे भी सूचित किया है। कृपया विभाग के लिए सूचनार्थ/File हेतु।

[signature] 14/6/18 AD

[signature] 14/6/18

DDA

[signature] 15/6

AD

[signature] 15/6

Asstt-I

-१२-

Government of Haryana

Subject:- Duty of Account Officer in Archives.

On the subject cited above it is submitted that there is one post of Account Officer on the pay roll of Archives Department. In addition to archival account Sh.Satish Kumar, Account Officer is also supposed to clear the cases of Archaeology Department as well. At present Sh.Satish Kumar, Account Officer has been given additional charge of Sports Department so he has no time to go through the Department's account files. He has also desired to come to Archives.

If approved, Sh.Satish Kumar, Account Officer may be directed to attend the office of Archives Department for atleast two days in a week, two days in sports Deptt & one day in Archaeology. Submitted for approval.

25/6/18 AD

Baldev K 25/6

DDA

May be approved please.

Rajwanti 25/6

Wr/DGA

26/6/2018

18/6

27/6

AD

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृ०५२/N पर पारित आदेशों के संबंध में प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत हैं।

27/6/18 AD

27/6/18

DDA

Rajwanti
27/6/18

AD

27/6/18

ASSH I

27/6/18 कृ० जारी करें।
ASS H I

Despatch No. 980 to 986
Dated 27-06-2018

2/26-2002 A&A

—114—

Government of Haryana

CFMS No-2360

Dated :- 06-12-2018

From

Sh. Anil Kumar Dhingra,

Account Officer

Date :- 06.12.2018

Subject:- Regarding Jonining report as Accounts officer.

वि०प०

अधिकारीगण कृपया वि०प० का अवलोकन करने का कष्ट करें 1

Sh. Anil Kumar Dhingra, Account Officer ने अपने पत्र दिनाकं 06.12.2018 के सूचित किया हैं कि Additional Chief Secretaary to Govt. Haryana, Finance and Planning Department, Chandigarh के आदेश क्रमाकं 15/16/2016-4F.A. दिनाकं 04.12.2018 के सन्दर्भ में जोकि वि०प० के साथ सलंग्न हैं , के एवज में दिनाकं 06.12.2018 (forenoon) को अपने Account Officer (लेखा अधिकारी), Archives & Archeology and Museum Department के पद पर कार्यभार ग्रहण करता हूँ 1

इस सम्बन्ध में अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता हैं कि Sh. Anil Kumar Dhingra, ने दिनाकं 06.12.2018 (forenoon) को Account Officer (लेखा अधिकारी), Archives & Archeology and Museum Department के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं 1

कृ० अधिकारीगण के सूचनार्थ/File हेतु प्रस्तुत है। सभी को एक-2 प्रति सूचनार्थ प्रेषित करने हेतु प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है

6/12/18

AD

6/12/18

DDA

Rajwanti 7/12

AD

7/12

Asstt-I

कृ० जारी करें / Clerk

Asstt-I

Despatch No. 1276 to 1282

Dated 07-12-2018

Government of Haryana

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

विषय :- गोपनीय रिपोर्ट दिनांक 01-4-2018 से 25-10-18 तक - श्री सतीश कुमार कौशिक, लेखा अधिकारी।

इस केस का संबंध श्री सतीश कुमार कौशिक लेखाधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट दि० 1-4-18 से 25-10-18 तक Review (समीक्षा अधिकारी) के हस्ताक्षर करने से है।

इस संबंध में अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाता है कि श्री सतीश कुमार कौशिक, लेखा अधिकारी को दि० 25-10-2018 को विभाग से भारमुक्त किया जा चुका है, इसलिए उक्त अधिकारी की दिनांक 01-4-2018 से 25-10-18 तक की गोपनीय रिपोर्ट रिपोर्टिंग अधिकारी के स्तर पर लिख दी गई है।

समीक्षा अधिकारी के स्तर की रिपोर्ट बतौर महा निदेशक अभिलेख महोदय द्वारा लिखी जानी है, इसलिए उक्त गोपनीय रिपोर्ट समीक्षा / परीक्षण हेतु भेजी जाती है।

कृपया महा निदेशक अभिलेख महोदय को समीक्षा अधिकारी होने के नाते Registered Post द्वारा आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक हरियाणा को भेज दी जाए।

प्रारूप की स्वच्छ प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं। गोपनीय रिपोर्ट भी साथ में संलग्न है।

[signature] 26/12/18

AD (OL)

DDA

Rajwanti 26/12

[signature] 27/12/18

AD

Asstt

जारी करें / [illegible]

Asstt-I

[signature] 26/12/18

Despatch No. 1860 to 1861

Dated 28/12/18

हरियाणा सरकार

-56-

RIGHT TO INFORMATION

विषय:— श्री सतीश कुमार कौशिक, लेखा अधिकारी की वर्ष 2018–2019 (01-4-2018 से 25-10-2018तक) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के संबंध में श्री सतीश कुमार, लेखा अधिकारी की दिनांक 1-4-2018 से 25-10-2018 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु महा निदेशक महोदय को भिजवाई गई थी महा निदेशक महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए विचाराधीन पत्र एवं लिफाफे पर आदेश पारित किए हैं कि उक्त गोपनीय रिपोर्ट को संबंधित को भिजवायें।

अतः निदेशक, खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ को अधिकारी की मूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भेज दी जाए। तद्‌नुसार प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां हस्ताक्षर्थ प्रस्तुत हैं।

[signature]
28/12/18

AD

[signature]
28/12/18

DDA

Rajwanti
28/12

AD

[signature]
28/12/18

जारी क्र० 1877-2078
दिनांक 28-12-18

A[illegible]-I

क्र० जारी करें / Clerk

[signature]
28/12/18

A[illegible]-I

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

-47-

Government of Haryana

विषय:- लेखा अधिकारी की सप्ताह में दो दिन कार्यालय में ड्यूटी लगवाने बारे ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि श्री अनिल कुमार ढींगरा, लेखा अधिकारी के पास विभाग की डी.डी.ओ. का कार्यभार है । उनके पास पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा का भी अतिरिक्त कार्यभार है ।

'X' यदि अनुमोदन हो तो विभाग के लेखा सम्बन्धित कार्यों व बिलों के निपटान हेतु अनिल कुमार ढींगरा, लेखा अधिकारी की सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को ड्यूटी लगा दी जाये ।

कृपया निदेशक अभिलेख महोदय के अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

01/8/19

D.D.A.

'X' for approval please.
Manju
1.8.19

Dir. Archives

2/8

Manju
2.8.19

Dy. Supdt

2/8

Asstt-I

प्राप्त के क्र.सं. 2/26-2008 Ahi की स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ हेतु ।

2/8/19 D.D.A.

Manju
2.8.19

Dy Supdt

जारी करें/clerk 2/8

Asstt I 2/8/19

ASSTT

issued No. 1147
dt 5-8-2019